भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1237
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं की बढ़ी हुई दरों पर बिक्री

1237. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बढ़ी हुई दरों पर दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए देश भर के कॉरपोरेट अस्पतालों में कोई औचक जांच की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (ग): जी, नहीं। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवाएं सभी अस्पतालों सहित देश में अधिसूचित मूल्य पर रोगियों को उपलब्ध कराई जाएं, औषध विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) प्रवर्तन गतिविधियों के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों और मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) के साथ मिलकर काम करता है। मरीजों को दवाओं की बिक्री किस कीमत पर की जाती है, की निगरानी करने के लिए दवाओं के नमूने नियमित रूप से अस्पताल परिसरों में स्थित फार्मेसियों सहित खुले बाजार से एकत्र किए जाते हैं और विश्लेषित किए जाते हैं। जब कभी भी अधिप्रभारन का कोई मामला राज्य औषध नियंत्रकों/पीएमआरयू, व्यक्तियों, एनपीपीए द्वारा खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों, 'फार्मा जन समाधान' आदि के माध्यम से दर्ज शिकायतों के से प्राप्त संदर्भों के आधार पर एनपीपीए के संज्ञान में आता है, तो एनपीपीए द्वारा मामले की जांच की जाती है। यदि अधिप्रभारन को दर्शाने वाली पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है, तो संबंधित विनिर्माण/विपणन कंपनी के विरुद्ध अधिप्रभारन संबंधित कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****